भारत सरकार

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

1.0 प्रस्तावना :

1.1 वर्ष 1920 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और रंगून (बर्मा उस समय भारत का भाग था) नामक चार स्थानों पर बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स का गठन किया गया था जहां से फिल्मों का देश में आयात करते थे। उस समय शायद ही फिल्म निर्माण का कोई देशी उद्योग था। सेंसरशिप के सिद्धान्त ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स द्वारा तैयार किए गए सेंसरशिप के नियमों पर आधारित थे। वर्ष 1952 में 1952 के चलचित्र अधिनियम (1952 का अधिनियम 37) नामक समेकित संविधि अधिनियमित की गई थी।

1.2 इस अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (के.फि.प्र.बो) चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए वीडियो फिल्मों सहित फिल्मों को प्रमाणित करने का सांविधिक कार्य निष्पादित करता है। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलूर, तिरूवनन्तपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में स्थित हैं। सुप्रसिद्ध फिल्म व्यक्तित्व श्रीमती. शर्मिला टैगोर दिनांक 13.10.2004 से बोर्ड की अध्यक्ष हैं।

1.3 फिल्म प्रमाणन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

- फिल्मों का माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी बना रहे ;
- कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मक स्वतंत्रता पर अनुचित रूप से रोक न लगाई जाए ;
- प्रमाणन सामाजिक परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील हो ।
- फिल्मों का माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें, और
- फिल्म सुरूचिसंपन्न मूल्यों और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो ।

फिल्मों की सेंसरशिप को चलचित्र (प्रमाणन) नियम 1983 द्वारा अभिशासित किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 5 ख के तहत दिशा–निर्देश बनाए गए हैं जिनमें उल्लिखित है कि

" प्रमाणपत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की राय में यदि कोई फिल्म या उसका भाग भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हितों के विरूद्ध है या उससे न्यायालय की मानहानि या

उसकी अवमानना होती है अथवा कोई अपराध करने के लिए उकसाने की संभावना हो तो उस फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित नहीं किया जाएगा ।"

के.फि.प्र.बो यह सुनिश्चित करता है कि फिल्म :–

(i) प्रमाणित करते समय उस समग्र फिल्म के प्रभाव को मद्देनज़र रखा जाता है ; और

(ii) फिल्म में दर्शाई गई कालावधि व देश के समसामयिक मानकों व फिल्म जिस वर्ग के लोगों से संबंधित है, के आलोक में फिल्म की जांच की जाती है, बशर्ते दर्शकों की नैतिकता को ठेस न पहुंचाए । (कृपया अनुलग्नक 'क' देखें)

2.0 केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा :

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्विस्तरीय संगठन है जैसे कि मुंबई स्थित बोर्ड और नौ क्षेत्रीय कार्यालय।

2.1 के.फि.प्र.बो के बोर्ड

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 की 37) की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत गठित किया गया है।

" फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा फिल्म प्रमाणन बोर्ड नामक एक बोर्ड गठित कर सकती है जिस में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा कम से कम बारह और अधिक से अधिक पच्चीस तक सदस्य शामिल होंगे ।"

वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 25 सदस्य हैं **(कृपया अनुलग्नक 'ख' देखें)**। चलचित्र अधिनियम में सरकार द्वारा नामांकित सदस्यों के लिए किसी योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 3 में यह उल्लिखित है कि अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए है व बोर्ड के सदस्य की कालावधि केन्द्र सरकार द्वारा

तय की जाएगी। बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित एक नया प्रावधान नियम 3 (क) वर्ष 1994 में शामिल किया गया है ।

बोर्ड के सदस्यों के लिए अपेक्षित है कि :

- वे बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहें ;
- वे पुनरीक्षण समिति की बैठकों में (यदि मनोनीत किया गया है) उपस्थित रहें ; और
- अधिनियम के नियम 37 के अनुसार फिल्मों में हो रहे उल्लंघनों का पता लगाने के लिए सिनेमा घरों में जाएं।

2.2 के.फि.प्र.बो के क्षेत्रीय कार्यालय

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली और तिरूवनन्तपुरम में नौ क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं, प्रत्येक कार्यालय का प्रमुख क्षेत्रीय अधिकारी है।

2.3 सलाहकार पैनल के.फि.प्र.बो के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता करते हैं। इन पैनलों के सदस्य समाज के प्रतिनिधिक अंश के प्रतिनिधि होते हैं। किसी सलाहकार पैनल का सदस्य बनने के लिए चलचित्र अधिनियम में किसी शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण नहीं किया है। इनकी नियुक्ति बोर्ड से परामर्श करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। सलाहकार पैनल के सदस्य की कालावधि केन्द्र सरकार की इच्छानुसार अधिकतम दो वर्ष के लिए होती है, सदस्यों की पुनःनियुक्ति भी की जा सकती है। **(कृपया अनुलग्नक 'ग' देखें)**

सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए अपेक्षित है कि **:**

- जांच समिति की बैठक में उपस्थित रहें ;
- पुनरीक्षण समिति में (यदि मनोनीत किया है) उपस्थित रहें ;
- कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में उपस्थित रहें ; और
- फिल्मों में उल्लंघनों का पता लगाने के लिए सिनेमाघरों में जाएं

3.0 के.फि.प्र.बो के कार्यकलाप :

बोर्ड के कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :–

(i) अप्रतिबन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना (अ – प्रमाणपत्र) ;

(ii) वयस्कों के लिए प्रतिबन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना (जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है) (व – प्रमाणपत्र) ;

(iii) 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता–पिता या अभिभावकों को चेतावनी के पृष्ठांकन के साथ फिल्म को अप्रतिबन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करना (अव – प्रमाणपत्र) ;

(iv) किसी व्यवसाय के सदस्यों या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रतिबन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म को प्रमाणित करना (एस – प्रमाणपत्र) ;

(v) अधिनियम के प्रावधानों के तहत फिल्म प्रमाणित करने से पहले दृश्यों की कांटछाट का आदेश देने के लिए बोर्ड प्राधिकृत है ; और

(vi) फिल्म को प्रमाणित करने से इन्कार करने के लिए बोर्ड सक्षम भी है।

4.0 प्रमाणन की प्रकिया :

के.फि.प्र.बो. सेल्यूलॉयड व वीडियो फार्मेट दोनों में बड़ी व लघु फिल्म को प्रमाणित करता है। यह विज्ञापन फिल्मों और फीचर फिल्म के प्रोमो को भी प्रमाणित करता है। चलचित्र अधिनियम के तहत के.फि.प्र.बो. फिल्म पोस्टरों के प्रमाणन से संबंधित नहीं है। फिल्मों के प्रमाणन हेतु द्विस्तरीय अभिनिर्णय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए के.फि.प्र.बो की दो समितियां है :– परीक्षण समिति व पुनरीक्षण समिति ।

4.1 परीक्षण समिति :

फिल्मों का पूर्वावलोकन 4 सलाहकार पैनल सदस्यों वाली जांच समिति द्वारा की जाती है इन में कम से कम दो महिला सदस्य व एक के.फि.प्र.बो. का अधिकारी होता है। फिल्म का प्रमाणन जांच समिति की संस्तुति के आधार पर किया जाता है।

4.2 पुनरीक्षण समिति :

परीक्षण समिति की सिफारिशों के संबंध में यदि जांच समिति में कोई मतभेद होता है तो मामले को पुनरीक्षण समिति को प्रस्तुत किया जा सकता है, पुनरीक्षण समिति में अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में एक बोर्ड सदस्य और बोर्ड/पैनल के अधिकतम 9 सदस्य होते हैं, बशर्ते कोई भी सदस्य मूल जांच समिति का सदस्य न रहा हो ।

4.3 फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण (एफ.सी.ए.टी) :

प्रमाणन के संबंध में विवाद/शिकायत की स्थिति में, के.फि.प्र.बो. की संस्तुतियों से असंतुष्ट होने पर आवेदक, फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण जा सकते है।

के.फि.प्र.बो के किसी भी आदेश के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु, फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण का गठन अधिनियम 1952 की धारा 5 डी के तहत किया गया है। नई दिल्ली स्थित अधिकरण की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा एवं अधिकतम 4 सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए की जाती है। एफ.सी.ए.टी के मामलों को, एक सचिव, जो कि एक पूर्णकालिक कर्मचारी है एवं प्रतिनियुक्ति आधार पर पद धारित करता है, द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एफ.सी.ए.टी की वर्तमान अध्यक्षा न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) उषा मेहरा है जो 20.09.2007 से तीन वर्ष की अवधि के लिए मानद आधार पर नियुक्त की गई है।

4.4 प्रमाणन :

प्रारंभ में, प्रमाणपत्रों की केवल दो ही श्रेणियां– 'अ' (अप्रतिबन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन) एवं 'व' (वयस्क दर्शकों तक प्रतिबन्धित) थीं। दो अन्य श्रेणियां जून 1983 में जोडी गई।

'अव' (अप्रतिबन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किन्तु 12 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका के लिए माता–पिता के मार्गदर्शन के साथ) ; और

'एस' (विशेष दर्शकों जैसे डॉक्टरों तक प्रतिबन्धित) ।

प्रमाणन नियम, भारत में आयातित विदेशी फिल्मों, डब फिल्मों व वीडियो फिल्मों पर भी लागू होते हैं। यद्यपि फिल्म प्रमाणन का कार्य केन्द्र का विषय है, लेकिन अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करना राज्य का कार्य है। जनता को तत्काल सूचना प्राप्ति में सुविधा हेतु के.फि.

प्र.बो विविध फिल्मों, प्रोमो, गाने इत्यादि को दिए प्रमाणपत्रों का विवरण अपनी वेबसाइट पर देता है।

5.0 प्रमाणन की वास्तविक प्रगति

वर्ष 2009 में 13488 फिल्मों को प्रमाणित किया, जब कि वर्ष 2008 में 15805 फिल्मों को प्रमाणित किया व वर्ष 2007 में 20498 फिल्मों को प्रमाणित किया गया।

6.0 योजनागत स्कीमें – 11 वीं योजना (2007–12)

11 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनागत स्कीमों का विवरण निम्नलिखित है :–

i) के.फि.प्र.बो में कंप्यूटरीकृत प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना व आधारभूत ढांचे का उन्नयन।

11 वीं योजना के उद्देश्य हैं कि (1.) राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र की सहायता से के.फि.प्र.बो में समस्त कार्य का कंप्यूटरीकरण व क्षेत्रीय कार्यालयों को तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना

2. आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में क्षेत्रीय कार्यालयों में पृथक डिजिटल वीडियो प्रमाणन यूनिटों की स्थापना। इस योजना का उद्देश्य वेब के ज़रिए आम जनता को जानकारी देना व विविध क्षेत्रीय कार्यालयों में सुचारू कार्यकलाप के लिए संयोजन बनाए रखना है। यह योजना के.फि.प्र.बो को फिल्म प्रारूपण और प्रमाणन से संबंधित तकनीकी उन्नति का सामना करने हेतु सज्जित करती है। तकनीकी नवीकरण व प्रदर्शन दोनों के संदर्भों में फिल्म निर्माण व विषय–वस्तु सृजन का काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। प्रमाणन के उद्देश्य से देखी जानेवाली फिल्मों के सभी प्रारूपों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बोर्ड को समर्थ होना चाहिए।

इसके अनुरूप–परिणाम एक स्वायत्त वेब पर आधारित आवेदन व प्रमाणन व्यवस्था का प्रचालन होगा। यह योजना अब मुंबई कार्यालय में प्रचलित है। राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र नेट के ज़रिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को मुंबई कार्यालय व मुंबई कार्यालय को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसके परिणाम स्वरूप डाटा व संचार का ई–मेल द्वारा शीघ्र सम्प्रेषण हो सकेगा । इस योजना की प्रशासनिक संस्वीकृति दिनांक 13.07.07 को जारी कर दी गई है। इस योजना का अनुमोदित परिव्यय 3.50 करोड रूपए है।

(ii). नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना ।

यह योजना इन क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए पूर्वकल्पित है। नए कार्यालयों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे कार्यालय परिसर, टेलिफोन इत्यादि के साथ जनशक्ति की भी आवश्यकता होंगी। इस योजना का उद्देश्य प्रमाणन के कार्यभार में अतिशय वृद्धि के दृष्टिगत के.फि.प्र.बो को आधारभूत संरचना व पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करना है। यह चलचित्र अधिनियम, 1952 के अनुसार कार्यों को कुशल व प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में परिणत होगा ।

कार्यभार की अतिशय वृद्धि के मद्देनज़र पूर्णरूपेण नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के साथ–साथ आधारभूत संरचना व जनशक्ति को बढाया जाना अपरिहार्य है। इस योजना का मंजूरी प्राप्त हुई तथा नई दिल्ली और कटक में प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है। गुवहाटी प्रादेशिक अधिकारी के पद के लिए विज्ञापन जारी किया है। कार्यालय के लिए फर्निचर की खरीदी हो चुकी है। कर्मचारी की नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग से संपर्क स्थापित किया है। ये नए कार्यालय पूर्णतः कार्यरत है।

(iii) प्रमाणीकरण प्रक्रिया का अनुवीक्षण एवं आधुनिकीकरण :

इस योजना का उद्देश्य कार्यशाला का आयोजन, सेमिनार व अभिमुखीकरण अभियान व अध्ययन इत्यादि के लिए है । इससे विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से संबद्ध परामर्शदाता पैनलों द्वारा फिल्मों के प्रमाणन में अधिक एकरूपता आएगी। समाज व जनता से चर्चा करने से प्रमाणन प्रक्रिया के स्तर को सुधारा जा सकता है।

7.0 वर्तमान मुद्दे :

7.1 प्रदर्शित जानवरों का कल्याण

प्रमाणन के लिए मार्गदर्शक 2 (iii) (ग) में यह निदर्शित है कि जानवरों के प्रति क्रूरता या दुर्व्यवहार के अनावश्यक दृश्यों को प्रदर्शित न किया जाये। इसके अतिरिक्त, 2005 के मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय, के अनुपालन में के.फि.प्र.बो. भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से इस बाबत प्रमाणपत्र मांगता है कि प्रदर्शित जानवर (पंजीयन) नियम, 2001 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। इस बीच, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह सूचित किया कि ए.डब्ल्यू.बी.आई इसके लिए निर्धारित–प्राधिकरण नहीं है। इससे प्रदर्शित जानवर (पंजीयन) नियम से संबंधित प्रमाणपत्र जारी करने में एक शून्य हो गया एवं बोर्ड को फिल्मों के प्रमाणन में समस्या का सामना करना पडा। अब पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि उक्त नियमों के तहत प्राधिकारी पर्यावरण एवं

वन मंत्रालय के निदेशक (जानवर कल्याण) है। तथापि, मुंबई उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस मामले में ए.डब्ल्यू.बी.आई प्राधिकरण है।

7.2 धूम्रपान पर रोक :

हाल ही में फिल्मों में धूम्रपान के दृश्यों के चित्रांकन के संबंध में कुछ विवाद हुआ है। के. फि.प्र.बो. के पास पहले से दिशा–निर्देश 2 (vi) (क) प्रस्तुत है, जो यह कहते हैं कि फिल्मों में धूम्रपान करने से संबंधित दृश्यों को बढ़ावा, न्यायोचित या महिमामंडित करनेवाले दृश्यों को काटा जाये। इसके बावजूद कुछ एन.जी.ओ ने स्वास्थ्य मंत्रालय से फिल्मों में धूम्रपान के दृश्यों को पूर्णरूपेण रोकने की मांग की है। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

7.3 के.फि.प्र.बो. के समक्ष नई चुनौतियां :

फिल्म उद्योग ने नए आयामों, जो मुख्य धारा से भिन्न हो, का भी अनुभव किया है। यह कभी–कभी के.फि.प्र.बो के लिए विशिष्ट चुनौतियां प्रस्तुत करता है, क्योंकि बदलते हुए/विकसित होते सामाजिक ढांचे के प्रकाश में इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना ज़रूरी है। इस के अलावा दर्शक विदेशों से अपलिंक किए जाने वाले चैनलों, इंटरनेट, केबल टेलीविज़न के ज़रिए नए विचार व परिकल्पनाओं से परिचित होते हैं और यह सिनेमा के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा बहुत से हित समूह प्रमाणन प्रक्रिया में अपने विचारों को प्रकट करने की मांग करते हैं इसलिए के.फि.प्र.बो. ज़रूरत पड़ने पर कई बार विशेषज्ञ क्षेत्रों से व्यक्तियों की सहायता लेता है।

दिनांक 9.08.07 को मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गयी है कि एक उत्पाद, जो सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, शराब, एलकोहल, मद्य या अन्य नशीली वस्तुओं का ब्रैन्ड नेम या लोगो प्रयोग करता है, को केवल इस शर्त के अधीन केबल सेवा पर विज्ञापित किया जाए कि इसे के.फि. प्र.बो. द्वारा इसका पूर्वावलोकन कर लिया गया है तथा अप्रतिबन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित किया गया है।

7.4 प्रमाणन प्रक्रिया से फिल्मों के कतिपय वर्गों को छूट :

पैरा 5.0 के अनुसार बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों की संख्या 2004 में 5476 से दो गुनी बढकर 2006 में 10583 हो गई है। इस बढोत्तरी का मुख्य कारण हाल ही में किए गए नए नियंत्रण में सभी फिल्में, फिल्मी गीत, फिल्म प्रोमो, संगीत वीडियो, संगीत एलबम और उनके प्रोमो चाहे वे भारत में या विदेश में निर्मित हो, को यदि केबल सेवार्थ लाना चाहते हैं तो केवल तभी

संभव होगा जब उन्हें के.फि.प्र.बो द्वारा भारत में अप्रतिबन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया गया हो । इसके अतिरिक्त नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में के.फि.प्र.बो. के नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की योजनागत स्कीम का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका क्योंकि वित्त मंत्रालय ने इन कार्यालयों में पदो ंके सृजन.पर होने वाले खर्च की बचत करने पर जोर दिया है। इसलिए मंत्रालय ने इन कार्यालयों को चलाने हेतु अधिकारियों व कर्मचारियों की अस्थायी व्यवस्था की है। इस पृष्ठभूमि में के.फि.प्र.बो की संस्तुतियों के आधार पर तथा मंत्रालय के विचार–विमर्श के आधार पर, चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 9 के तहत फिल्मों के कतिपय वर्गों को प्रमाणन प्रक्रिया से छूट देते हुए एक आदेश जारी किया गया है । (अनुलग्नक – **ड.** देखें)

7.5 चलचित्र अधिनियम, 1952 का पुनरवलोकन :

वर्तमान में चलचित्र अधिनियम व नियमों के पुनरवलोकन पर कार्यवाही की जा रही है ताकि अधिनियम वर्तमान प्रौद्योगिकियों के अनुरूप्य हो ।

8.6 टी.वी चैनलों द्वारा फिल्मों का प्रसारण :

केबल नेटवर्क के ज़रिए **'व'** में प्रमाणित फिल्म या म्युसिक वीड़ियो या वृत्तचित्र का प्रसारण नहीं कर सकता है।

(x) प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के मासिक वेतन, नियमानुसार प्राप्त मुआवजा के साथ

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	मूल वेतन	मूल वेतन	ग्रेड पे
1.	सुश्री. शर्मिला टैगोर	अध्यक्ष	मानदेय के	आधार पर	
2.	श्री. विनायक आज़ाद	प्रादेशिक अधिकारी	37400 -67000	37400	8700
3.	रिक्त	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी			
4.	श्री. अमिताभ शर्मा	सहायक प्रादेशिक अधिकारी	9300-34800	18090	4600
5.	सुश्री. वी. के. चावक	अध्यक्ष के सचिव	9300-34800	17610	4600
6.	सुश्री. जे. एस. महामुनी	सहायक प्रादेशिक अधिकारी	9300-34800	16670	4600
7.	श्री. पी. बी. बनसोडे	सहायक प्रादेशिक अधिकारी	9300 -34800	15950	4600
8.	सुश्री. एस. डी. तांडेल	अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक	कर्मचारी चयन आयोग में तदर्थ		
9.	श्री. डी. आर. तांडेल	आशुलिपिक ग्रेड 1	9300-34800	15580	4600
10	श्री. के. सी. राव	आशुलिपिक ग्रे.।।।	5200-20200	9940	2800
12	कु.संजु कुमारी	आशुलिपिक ग्रे.।।।	5200-20200	7510	2400
13	सुश्री. एम. एस. केलकर	पुस्तकालयाध्यक्ष	9300-34800	17380	4800
14	सुश्री. लेखा श्रीकुमार	हिन्दी अनुवादक	9300-34800	14680	4600
15	सुश्री. वी. आर. पाटकर	अधीक्षक	9300-34800	15000	4200
16	सुश्री. एम. फर्नांडीस	सहायक	9300-34800	13220	4200
17	सुश्री. वाय. आर. पवार	सहायक	9300-34800	12590	4200
18	श्री. के. एस. वर्मा	सहायक	9300-34800	12590	4200
19	सुश्री. एस. डी. माजरेकर	सहायक	9300-34800	12270	4200
20	श्री. जी. चक्रपाणी	उ. श्रे. लिपिक	9300-34800	12000	4200
21	श्री. आर. ए. मारवाह	उ. श्रे. लिपिक	9300-34800	12000	4200
22	सुश्री. के. एस. खेडेकर	उ. श्रे. लिपिक	9300-34800	11510	4200
23	सुश्री. एस. एम. राणे	उ. श्रे. लिपिक	9300-34800	11510	4200
24	सुश्री. वी. वी. मराठे	उ. श्रे. लिपिक	9300-34800	12800	4600
25	श्री. आर. जी. शिंदे	उ. श्रे. लिपिक	5200-20200	9750	2400
26	सुश्री. एस. डी. मोडक	उ. श्रे. लिपिक	5200-20200	10350	2800
27	श्री. ई. आर. सावंत	उ. श्रे. लिपिक	5200-20200	10140	2800
28	सुश्री. जी. एस. बुधवारकर	उ. श्रे. लिपिक	5200-20200	9340	2400
29	श्री. के. डी. कांबले	नि. श्रे. लिपिक	5200-20200	8890	2400
30	सुश्री. ए. बी. चिले	नि. श्रे. लिपिक	5200-20200	8890	2400
31	श्रीमती. एम. वी.. एम. राव	नि. श्रे. लिपिक	5200-20200	8890	2400
32	श्री. सी.एस.नारकर	नि. श्रे. लिपिक	5200-20200	7030	1900

33	श्री. अमित कुमार	नि. श्रे. लिपिक	5200-20200	5830	1900
34	श्री. सी. आर. गुरव	वहन चालक	5200-20200	9940	2400
35	श्री. वी. बी. मंचेकर	रिकार्ड कीपर	5200-20200	7180	1800
36	श्री. आर. एल. तांबे	गेस्ट. ऑपरेटर	5200-20200	9180	2000
37	श्री. एस. डी. राणे	व. चपरासी	5200-20200	8990	2000
38	श्री. एस. ए. गावडे	दफतरी	5200-20200	8350	1800
39	श्री. डी. एल. भांगरे	दफतरी	5200-20200	8850	2000
40	श्री. एस. एल. माने	चपरासी	5200-20200	8350	1800
41	सुश्री. एस.एम.सदाफुले	मजदूर	5200-20200	6920	1900
42	श्री. जे. पी. पाटील	मजदूर	5200-20200	6920	1900
43	श्री. एस. डी. रहाटे	चौकीदार	5200-20200	6090	1800
44	श्री.पलनीचामी	्रादेशिक अधिकारी	अतिरिक्त कार्यभार		
45	सुश्री. जयंती मुरलीधरन	व. आशुलिपिक	9300-34800	17190	4200
46	सुश्री. वी. गीता	उ. श्रे. लिपिक	9300-34800	11950	4200
47	सुश्री. सी. मृणालिनी	उ. श्रे. लिपिक	9300-34800	12900	4200
48	सुश्री. जयालक्ष्मी	उ. श्रे. लिपिक	9300-34800	11480	4200
49	सुश्री. आर. कला	नि. श्रे. लिपिक	5200-20200	10360	2400
50	सुश्री. रजुलादेवी	सहायक	9300-34800	13840	4200
51	श्री. एस. वेंकटरमण	नि. श्रे. लिपिक	5200-20200	10310	2800
52	श्री. एन. चंद्रमौली	नि. श्रे. लिपिक	5200-20200	9340	2400
53	श्री. आर. रमणी	दफतरी	5200-20200	8030	1800
54	श्री. एस. रंगन	मजदूर	5200-20200	7450	1800
55	सुश्री. एम. अन्नामल	चपरासी	5200-20200	6660	1800
56	श्री. के. कृष्णमूर्ती	फिल्म संपादक	9300-34800	13210	4200
57	श्री. सुब्रतो मुखोपाध्याय	्रादेशिक अधिकारी	15600-39100	27280	7600
58	श्री. ए. के. जाना	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800	19200	4200
59	श्री. एस.बोस	आशुलिपिक	9300-34800	13910	4200
60	श्री. ए. के. मुखर्जी	उ. श्रे. लिपिक	5200-20200	13790	2800

61	श्री. एस. मंडल	नि. श्रे. लिपिक	5200-20200	10040	2000
62	श्री. आर. मुरूमु	चपरासी	5200-20200	9820	1800
63	श्री. के.चक्रवर्ती	मजदूर	5200-20200	9250	1800
64	श्री. गोपाल मुजुमदार	चपरासी	5200-20200	9480	1800
65	श्री. चक्रवर्ती	चपरासी	5200-20200	9250	1800
66	श्री. टी. वी. के रेड्डी	प्रादेशिक अधिकारी	37400-67000	43210	8700
67	श्री. अप्पा राव	अधीक्षक	9300-34800	15700	4600
68	श्री. पी. डी. ठाकुर	अधीक्षक	9300-34800	12850	4200
69	श्री. आय. वी. सुब्रमणीयम	आशुलिपिक ग्रे.।।।	5200-20200	10680	2800
70	श्री. वी. वी. आचारवेलू	उ. श्रे. लिपिक	5200-20200	11840	2800
71	श्री. बी. आर. विजय कुमार	चपरासी	5200-20200	8030	2000
72	श्री. बी. एस. करूणाकर	मजदुर	5200-20200	7330	1900
73	श्री. एन. गोपीकृष्णा	चौकीदार	5200-20200	8030	2000
74	श्री. के.नागराज	प्रादेशिक अधिकारी	15600-39100	22600	7600
75	श्री. मनोहर बाबु	आशुलिपिक ग्रे. ।।।	9300-34800	11950	4200
76	श्री. एस. पी. जगदीश	सहायक	9300-34800	16740	4600
77	श्री. डी. एन. भागीरथी	उ. श्रे. लिपिक	5200-20200	10330	2800
78	श्री. एम. वेंकटेश	मजदूर	5200-20200	7890	1800
79	श्री. सी. चेन्नाह	चौकीदार	5200-20200	8190	1900
80	श्री. अब्दुल करीम	चौकीदार	5200-20200	8190	1900
81	श्री. बी. अर्जुनन	नि. श्रे. लिपिक	5200-20200	8210	1900
82	सुश्री. सलीमा	सफाईवाली	5200-20200	7300	1800
83	श्री. मधु कुमार	अति. प्रादेशिक अधिकारी	15600-39100	25360	6600
84	श्री. जोस मैथ्यू	आशुलिपिक ग्रे. ।।	9300-34800	15000	4200
85	श्री. टी. एम. कृष्णन	नि. श्रे. लिपिक	9300-34800	11140	4200
86	श्री. मनोज गुप्ता	प्रादेशिक अधिकारी, नई दिल्ली	अतिरिक्त कार्यभार		
87	श्री. अखिल कुमार मिश्रा	प्रादेशिक अधिकारी, कटक	**15600-39100**	**21780**	**6600**
88	श्री. नारज़रे	प्रादेशिक अधिकारी, गोहाटी	अतिरिक्त कार्यभार		

(xi) प्रत्येक एजन्सी के लिए निर्धारित बजट सभी योजना, प्रस्तावित खर्च और की गई संवितरण की रिपोर्ट के साथ विवरण दें

2010–2011 के लिए बजट नियतन

(रूपए लाख में)

क्षेत्र	वेतन	मेडिकल	अ.स. व्यय	या.व्यय	का.व्यय	पी.पी.एस. एस	स.अ	कुल
इर्ला	70.00	––		––	––	––	––	70.00
मुंबई	129.00	1.50	--	6.00	27.55	70.00	0.05	234.92
चेन्नई	43.00	1.00	––	03.00	03.25	29.00	––	79.43
कोलकाता	21.00	00.50	––	02.00	04.00	09.00	––	36.50
हैदराबाद	21.00	00.80	--	03.00	10.00	20.00	––	54.80
बंगलोर	23.00	00.40	00.10	02.00	04.50	15.00	––	45.00
तिरूवनन्तपुरम	12.00	00.30	00.05	04.00	06.00	07.00	––	29.35
नई दिल्ली	10.00	1.00	0.10	3.00	10.00	10.00	––	34.10
कटक	10.00	1.00	0.05	02.00	04.80	05.00	––	22.85
गोहाटी	10.00	1.00	0.05	02.00	05.00	05.00	––	23.05
कुल	350.00	07.50	00.35	27.00	75.10	170.00	00.05	630.00

परियोजना का योजनावार विवरण

(रूपए लाख में)

	आयोजना का नाम	**वेतन**	**अ.स.व्यय**	**मेडिकल**	**या.व्यय**	**का.भ**	**पी.पी. एस. एस**	**कु ल**
	के.फि.प्र.बो में कम्प्यूटर व्यवस्था की स्थापना और के. फि.प्र.बो की संरचना सुविधा में वृद्धि।	––	––	..	––	90.00	––	90.00*
	बोर्ड के नई दिल्ली और कटक में क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रारंभ करना	30.00	00.20	03.00	07.00	19.80	20.00	80.00
	प्रमाणन प्रकिया की अनुवीक्षण तथा अनुशोधन	––	––		––	50.00	––	50.00
	कुल	30.00	0.20	03.00	07.00	19.80	20.00	220.00

पूंजी (मशीनरी व इक्वेपमेंट)

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में रखे गए दस्तावेजों तथा ई–प्रारूप में अभिलेख की वर्ग की जानकारी दें

के.फि.प्र.बो में दिनांक 15.01.1951 से सभी फिल्मों के केवल प्रमाणपत्र की मूल रिकार्ड रखा है। फाइलों को प्रधिधारण अनुसूची के अनुसार विलुप्त किया गया है।

नीति निर्माण के लिए लोगों से परामर्श लेने के लिए क्या व्यवस्था है

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को प्रमाणीकरण प्रक्रिया का अनुवीक्षण एवं आधुनिकीकरण के लिए एक स्वीकृत परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के कई जगहों पर कार्यशाला का आयोजन, सेमिनार व अभिमुखीकरण अभियान व अध्ययन से जागरूकरता बढ़ाने के लिए है । ये विचारों के आदान–प्रदान का मंच की तरह कार्य करते है। इन कार्यशालाओं व सेमिनारों में फिल्म निर्माता, मीडिया व कई व्यक्ति फिल्म प्रमाणन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करते है। इसके अलावा लिखित शिकायत/ सुझाव इस वेबसाइट के ज़रिए अध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकते है।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बोर्ड/कौंसिल/समिति की जानकारी दें

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बोर्ड में अध्यक्ष व 25 बोर्ड सदस्य है। केन्द्रीय बोर्ड सामान्यतः कई मामलों का निपटान के लिए तिमाही में आयोजित करते है। कभी कभी महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए असाधारण बोर्ड की बैठकें आयोजित करते है।

सबसिडी कार्यक्रम और उसकी लाभार्थि, यदि कोई है तो,

लागू नहीं

रियायत की जानकारी, यदि कोई है तो,

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमुखतः शैक्षणिक में वर्गीकृत बाल फिल्म को शुल्क में रियायत प्राप्त है।

लोगों को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाएं, पुस्तकालय की जानकारी दे

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अभिलेख निर्माणाधीन है। वेबसाइट पूर्ण होने पर फिल्मों से संबंधित जानकारी
(नाम, प्रमाणपत्र की संख्या, वर्ग, प्रमाणन दिनांक, कट्स इत्यदि) वेबसाइट के अभिलेख भाग में उपलब्ध हो जाएगा।